

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहनलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री मांगीलाल

पत्रावली संख्या : 97 / 17

जीसीएमएस : 2017 / 00570

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 21.03.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद का आज दिनांक को निस्तारण किया जा चुका है। अतः मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। इस पत्रावली में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

